मैसर्स जी.एल. मिनरल्स, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 08.11.2024 प्रातः 11.00 AM बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम– शिशवी, तहसील–कुराबड़ (गिर्वा), जिला–उदयपुर

मैं. गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर उपस्थित श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, वल्लभनगर, उदयपुर का स्वागत करते हुये मैसर्स जी.एल. मिनरल्स द्वारा प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार खनन परियोजना (एम.एल.न. 50/2023 (लीज क्षेत्र 2.9377 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 62.4381 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 2923147 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 253562 TPA निकट ग्राम–सेजलाई, तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर की जनसुनवाई के कार्यक्रम का प्रारंभ करता हुँ।

इस परियोजना हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आप सभी उपस्थित जन समूह का स्वागत करता हूँ।

जैसा कि विदित है कि उक्त परियोजना हेतु जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 09.11.2024 एवं जय राजस्थान में दिनांक 09.11.2024 को प्रकाशित करवा आज दिनांक 08.11.2024 तक इस परियोजना की जन सुनवाई आयोजित करने एवं साथ ही आम जन से सुझाव एवं आक्षेप मांगे गये थे।

इसी क्रम में आप उपस्थित जन समूह से सादर निवेदन है कि आपके समक्ष अभी इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार M/s P and M Solution के प्रतिनिधि पूरी परियोजना का विस्तृत विवरण एवं जानकारी Power Point Presentation के माध्यम से प्रस्तुत करेगे। आप सभी ध्यानपूर्वक इनकी बातों को सुने एवं समझे एवं प्रस्तुतीकरण पूरा होने के पश्चात् उपस्थित जन समूह में से किसी को भी कोई सुझाव/शिकायत/आक्षेप हो तो कृपया अपना नाम पता सहित जानकारी देते हुये मौखिक एवं लिखित अभ्यावेदन के द्वारा प्रस्तुत करे ताकि उचित कार्यवाही हेतु इसे समक्ष स्तर पर प्रेषित किया जा सके।

अब मैं श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय की आज्ञा से इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार M/s P and M Solution के प्रतिनिधि से निवेदन करूगां कि आप इस परियोजना की विस्तृत जानकारी उपस्थित जन समूह को प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक ''ब''के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

श्री हिम्मत सिंह ग्राम–शिशवी :–

साहब आप जो बेनिफिट जो आप बता रहे हो उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप कह रहे हो जल स्तर इतना नीचे गिर जाएगा। जिसकी कोई नही अभी भी जल स्तर इतना नीचे चला गया। 250 फीट पर पानी आता था अभी 1000–1000 फीट ट्यूबवेल जा रहे है। घरो में दरारे आ रही है इस माईन्स से यह लगाने से।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

मै सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपना नाम एवं पता बताये।

श्री हिम्मत सिंह ग्राम–शिशवी :–

हमारे को बेनिफिट क्या है इससे विकास काम तो वेसे ही गर्वमेन्ट करवा देगी। माईन्से से तो लोस ही है हमारे को चारागाह भूमि है कहा यहा पे जो आप इतनी 29 लाख टन माल निकालेगें। कितनी गहरी माईन्स जाएगी 29 लाख टन में कितनी गहरी जाएगी। 62 हेक्टयेर पर कितनी गहरी जाएगी। 29 लाख टन। माईन्सों से पर्यावरण बचता है या बिगडता है। आप ही इसका बताओ।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार जो वो यहा पे इस सवाल का उत्तर देगें।

पर्यावरणीय सलाहकार :–

29 लाख टन है ना पूरे कलस्टर की है। इनकी आवधिक क्षमता 2 लाख टन प्रतिवर्ष है। 2 से 2.5 लाख टन है जो कि इनकी ऑलरेडी जो लीजे है। इसमें 13 लीजे और है इनके अलावा उनकी भी प्रोडक्शन केपेसिटी इसमें शामिल की गई हैं।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री हिम्मत सिंह ग्राम–शिशवी :–

ऑलरेडी जो लीजे है जो माईन्से है। कितने को रोजगार मिले उसमें। कितना हमारे को लोस हुआ। अभी तीन महिनो से जल स्तर इतना गिर गया के बाद में क्या होगा। आप कह रहे हो 29 लाख टन प्रतिवर्ष 62 हेक्टयर पर होगा। कितनी खदान होगी 62 हेक्टयर पर। वहा आप देख लो 62 हेक्टयर गहरा रहेगा। तो पानी कहा बचेगा। अभी इस नाले में मार्च तक पानी रहता था। अभी सूखने लग गया आप देख लो। अभी जाके देख लो ज्यादा दूर नही है। अभी जाके आप देख लो।

श्री सुरेन्द्र सिंह सारंगदेओत ग्राम–शिशवी :–

जितनी भी माईन्से है। इनकी खदान है इतनी उंडी की गहरी जाने से आगे जितने भी कुए है। उन कुओ में ब्लास्टिंग का जो बारूद है। बारूद का असर आ रहा है। हर कुओ में जाकर देखों पानी के उपर जैसे कोई तेल डाला हो। वैसे वो पानी का स्वाद ही पूरा बिगड गया। हम जो पानी पी रहे है। जो पहले आज से 5 साल पहले पानी पीते थे उसका टेस्ट अलग था और अभी जो पानी पी रहे उसका टेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया और इन माईन्सो से जितना भी जो डस्ट है। जो भी बहकर जा रहा है। वो हमारे खेतो में जा रहा है। खेतो में पपडी बन रही है। पपडी से सारी फसल का भी नुकसान। एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इन माईन्सों वालो ने कोई पेड़ पौधे लगा रखे हो। पर्यावरण का शुद्धिकरण कई एक पेड पौधा नही लगा रखा है। नही इनका कोई सीमांकन दिख रहा है।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

पर्यावरणीय सलाहकार से में आग्रह करूगा कि वो इस आक्षेप का जवाब प्रस्तुत करें।

पर्यावरणीय सलाहकार :–

सर देखो इनको आग्रह किया जाएगा। कि इस तरीके से नही करा जाए। कंट्रोल ब्लास्टिंग की जाए जिससे इनके जो ब्लास्टिंग का जो आप बता रहे है। पानी में आ रहा है तो वो नही हो। यह जो आपको समस्या है। वो उनके जो ऑलरेडी जो लिजे चल रही है। इनकी तो अभी प्रस्तावित है। अभी तो इनको ईसी मिलेगी। माईन्स चालू करेंगे उसके बाद जाके इनका काम होगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह सारंगदेओत ग्राम–शिशवी :–

यह अभी जो माईन्से लगी हुई है। उन माईन्सो से हमारा कितना नुकसान हो तो और लगेगी तो क्या होगा हमारा फिर। हम कहा जाएगे। हमारा गांव का गांव उजडेगा क्या। यहा हमारी खेती बाडी जमीन छोडकर हम चले जाएगें। आप देख सकते है वहा जाके। आप माईन्सों पर जाकर देख सकते हो। किसी माईन्स पर पेड पौधे लगे हुए है क्या। हमारे सारे पेड पौधे थे। हमारे जो चरनोट की भूमि थी। उसमें से भी

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

पेड पौधे हटा–हटा के फिर नाश कर दिया सत्यानाश कर दिया हमारे जगंल का। बच्चे को बडा करते है छोटे बच्चे को उस तरह से बडे करने पडते है पेड पौधे को। इतना जंगल का पूरा पर्यावरण का ऐसी तेसी कर रखी है। कोई किसी को रोजगार नही रखते हमारे यहा गांव को पुछ लो। आप जाकर किसी को रोजगार मिला हो तो। कोई हो हमारा माईन्स पे। आप कह रहे हो हमारे को रोजगार मिल रहे है। आप कह रहे हो कि स्कूल को फण्ड देते है। उस फण्ड से हमारे क्या। हम पढे हमारे बाप दादा पढे तब से हमारे स्कूल नही चल रही थी। उस फण्ड से हमारे बच्चे नही खा रहे थे मिठाई। एक मिठाई के पैसे देने से हमारे को क्या वो हो गया।

श्री चेनसिंह ग्राम–सेजलाई :–

यह आपके माईन्स से पर्यावरण सही रहता है या खराब रहता है। क्या पर्यावरण खराब नही होता है माईन्स से।

पर्यावरणीय सलाहकार :–

माईन्स से पर्यावरण खराब होता है लेकिन उसके उपाय करे जाते है। उनको सुधार करके।

श्री चेनसिंह ग्राम–सेजलाई :–

तो सुधार कौन करेगा। सुधार हम करेगे। हम करें।

पर्यावरणीय सलाहकार :–

माईन्स वाले ही करेगें। वो बात है।

श्री चेनसिंह ग्राम–सेजलाई :–

तो माईन्स वाले क्यू करेगे। आप उनको बंद करो माईन्स को। माईन्स को बन्द करना चाहिए। क्या किया उन्होनें। अभी कोई एक साल तो हुआ नही है सर। या 5–6 महिने हुए तो नही है। किस हादसे से 3 –4 साल से चल रही है ये माईन्से सबका धमाका उडाके घरों में धर–धर रात को बीच में उठकर खडे हो जाते है। तो क्या करेगें वो लोग कैसे उनका जीवन व्यापन होगा। आप बताओं में बता रहा हू आपको रात को भी मनुष्यो को उठना पडता है बेचारो को दरारे आ रही है घर में पानी टपक रहा है। बरसात का तो क्या करेगे।इतनी परेशानी तो इसका तो सुधार होना चाहिए ना। आप लोग बन्द करवा दो बिल्कुल।

श्री बालूलाल लोहार ग्राम–शिशवी :–

मैं यह कहना चाहता हूं गांव में जो अभी आपके सामने मकान दिख रहा है। उनकी दीवारे पूरी तड गई है। वो सामने ही है ज्यादा दूर नही है पास में ही मकान है। ज्यादा दूर नही है। और दूसरी बात माईन्स आप कितनी गहरी करते हो। लास्ट आपका कितना है।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय सलाहकार :–

नही यह जो होती है इनकी गहराई वो गहराई होती है इनके माईनिंग प्लान के नियमानुसारजैसे किसी में 15 मीटर भी गहरी होती है जो कि वाटर लेवल से नीचे रखी जाती है। जो कि वाटर लेवल से उपर रखा जाए। ताकि वाटर लेवल को टच नही करें। तो उतने तक ही उसकी गइराई जा सकती है।

श्री बालूलाल लोहार ग्राम–शिशवी :–

तो 15 मीटर कितनी होती है 45 फीट ?

पर्यावरणीय सलाहकार :–

उनके जो माईनिंग प्लान होते है जो माईनिंग प्लान अप्रूव होते है डिपार्टमेन्ट से उसके अकोरडिंग करते है।

श्री बालूलाल लोहार ग्राम–शिशवी :–

नही पर 15 मीटर बोल रहे है। 15 मीटर 45 से 50 फीट 400 फीट गहरी माईन्से है अभी यहा पे। नही तो आप देख लिजिए जाके। अभी 400 फीट गहरी भी माईन्से है। ज्यादा होगी पर कम नही होगी। पानी सूख रहा है और यह सामने दिख रहा है। वो दीवारे सूखाने आ गई। हमारे पास में गांव है। वहा से आज पूरा गांव बिमार है। पानी की वजह से। मीठा नीम के पास गांव है वो क्या नाम है उस गांव का फलेट। फलेट के हर घर में आदमी बिमार है। वो पानी की वजह से सब बीमार पडे है। वहा घर में कोई गाय भेसों के लिए चारा खिलाने वाला घर में नही है। 10–15 लोग तो मर गये है साहब फलेट में। और अभी पूरा गांव बिमार पडा है।फिर आप जाके देख के आओ। गांव में बिमार हो रहे है तो फिर क्या होगा। फिर ऐसे ही मरते रहेगे क्या माईन्सों के लिए ऐसे मरते रहे यू। और हमारी गाय रोड पर घूम रही है। माईन्सों के लिए जगह मिल रही है गांव में। हरीजन नही मिल रहे पंचायत वालो को। 20 महिने की तनखा बाकी है वो कह रहा है। वहा आप गांव की कंडीशन देखो आप जाके। 20 महिने की तनखा बाकी है। पंचायत उसको तनखा नही दे रही है। और यह माईन्सो के लिए लीज दे रही है उनको और एनओसी दे रही है इनको।स्कूल में लेपटॉप दे दिया। स्कूल में पैसे नही आते क्या सरकारी।

श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम– सेजलाई :–

मै ग्राम पंचायत शिशवी का सदस्य हूॅं और सेजलाई मेरा गांव है। यह जो माईन्स की इन माईन्स वालो में जो अतिक्रमण हो रहा है। यह गांव के फायदेमंद नही है।यह न किसी गांव के जो इनके परसनली यूज के लिए है और यह जो बोलते है। कि हम गांव के लिए यह कर रहे है। पेड़ पौधे लगा रहे यह कर रहे है। कुछ नही है। एक भी पेड पौधा नही लगा हुआ है हमारे घरो में दरारो आ रही है। पिताजी ने

उपखण्ड अधिकारी
बल्लभनगर

GOPAL Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

एक–एक रूपया इकट्ठा करके मकान बनाया है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को एक–एक रूपया इकट्ठा करके मकान बनाया है। 2017 में मकान बना है मेरा। और अभी उस मकान की हालत यह हो गई जो 40 साल पूराना मकान हो वेसाहो गया है। यह माईन्स की वजह से हो गया है। जब मेरे पानी की टंकी भरता हूँ घर पे तो जब से माईन्स में जब भी ब्लास्टिंग होता है। इतना पावरफूल ब्लास्टिंग है। घर की दीवारे हिल जाती है। घर में जो किचन में जो बर्तन पडे हुए है ना वो हिल जाते है। इससे इन सभी को किसी को कोई लेना देना नही है। इनका काम है। सिर्फ ब्लास्टिंग करना अपना जितना जो होल हो सके जितना ब्लास्टिंग हो सके। अपने खनन के लिए वो करना। इनकी गाडिया भर भर के जाती है। और जितना भी निकाल सकते है। यह इनका फुल पावर लगा रहे है। निकालने के लिए हमारे गांव में इसकी कोई जरूरत नही है। हमें चाहिए ही नही। मै सर एक सवाल करूंगा आपसे सर मुझे यह बताइए ग्राम पंचायत के कितने किलोमीटर के बाद में आप माईन्स की ऑथोरिटी देते है इनकों?

पर्यावरणीय सलाहकार :–

50 मीटर के बाद में आप लीज के लिए मिलती है। 45 मीटर की डिस्टेंस आती है। नदी नाले तालाब से हमारी 500 मीटर रहती है।घर से 500 मीटर दूर आप लगा सकते हो। ब्लास्टिंग भी जैसे आप आधा किलोमीटर दूर ब्लास्टिंग हो रही है तो उसको परमिशन दी जाती है। 500 मीटर से अगर ज्यादा इनकी ब्लास्टिंग की वो है। तो ब्लास्टिंग परमिशन मिल जाती है। डीजीएमएस पर रूल है इसका।

श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम– सेजलाई :–

तो सर आप मुझे बताईए आप ब्लास्टिंग क्या अपनी जितनी क्षमता अनुसार कर सकते है।

पर्यावरणीय सलाहकारः–

नही एस पर नोमर्स वहा से परमिशन मिलती है डीजीएमएस से डायरेक्टर जनरल माईन्स सेफ्टी जो उदयपुर बैठते है। और अजमेर बैठते है। वो उसकी परमिशन देते है। स्पेसिफिक जो उनके ऑथोराइज पर्सन उसकी वो करता है ऑथोराइजड ब्लास्ट।

श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम– सेजलाई :–

अगर माईन्स कि जो ब्लास्टिंग है ना ब्लास्टिंग की वजह से अपने घरेलू अपने गांव में जैसे छत है दीवारे है इनको अगर नुकसान पहुचता है। तो यह सही बात है गलत बात है।

पर्यावरणीय सलाहकारः–

नही यह तो गलत बात है। उसकी आप डीजीएमएस पर शिकायत करिये। डीजीएमएस उनको परमिशन जारी करता है। उसके बाद वो ब्लास्टिंग करते है। उससे पहले वो ब्लास्टिंग कर नही सकते।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम– सेजलाई :–

तो सर आपकी जो बैठक है वो किसके लिए है यह बताइए आप अभी।

पर्यावरणीय सलाहकारः–

नही हम सर यहा पर्यावरण को रिलेट करने के लिए मै तो पर्यावरण सलाहकार के तौर पर आपके यहा पर आए कि आपके लिए क्या प्रस्तावित किया गया।

श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम– सेजलाई :–

सर बुरा मत मानिए मै आपसे एक सवाल करता हूँ सर आपने आपकी पडाई के लिए दुनिया भर के पैसे लगाए होगें। बुरा मत मानना अगर गलती हो तो माफ करना आपने दुनिया भर के आपके पैसे लगाए है पडाई के लिए और उसमें फिर आपने मकान भी बनाया वो आपकी मेहनत का पैसा है। अगर उस मकान के आसपास कोई ऐसा खनन खोद देता है या ब्लास्टिंग करता है। तो सर आपके दिल में वो कैसी भावना आती है। क्या वो अच्छा कर रहा है गलत कर रहा है। सर हमारी पीढीया क़ी पीढीया चली गई है इस गांव में। हमने यू सोचा था कि हो सकता है इन माईन्सो सेहमे कुछ फायदा होगा पर सर एक रूपये का फायदा नही हुआ बल्कि हमारा नुकसान हुआ है। सर ये जो सुरेन्द्र सिह जी जो बात कर रहे है। इनके घर के पास में माईन्स लगी हुई है और माईन्स की एनओसी जारी करने के पंचायत, पंचायत ने हमें क्या दिया। हम जनप्रतिनिधी चुनते है ग्राम विकास के लिए कि ताकि सरपंच हमारा काम कर सके। पर्टिकुलर मेरा पर्सनल काम नही कर सके। गांव के हित में काम कर सके। ना तो वो कोई काम होता है। पंचायत को 5 साल के लिए भविष्य उस सरपंच के हाथ में छोडते है। उन 5 सालों में सरपंच ग्राम विकास के लिए काम नही करता है और उस पंचायत को 5 साल के लिए और अंधकार में भेजता है। ताकि दूसरा सरपंच आए वो फिर वापस आगें करें। पिछले वाले सरपंच साहब किशन लाल जी ने यह काम किया है। तो फलाना लाल जी यह करेगे। तो यह जितनी भी जो गलती है ना सर अधिकतर यह ग्राम पंचायत की है। और अब पिछली बार सर आप पधारे होगें। 18 तारीख को जनसुनवाई रखी थी। गांव में किसी को सूचित नही किया गया था। सिर्फ एक टेम्पों घुमा था और जिन जिन को पता था वो लोग यहा पर मौजूद थे। आज आपने देखा होगा आप पधारे हुए थे पहले और उस वक्त 18 तारीख सेऔर आज 8 तारीख के बीच में आप गिन लिजिए कितने सदस्य है। आपको कुछ लगा ऐसा।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

पिछली बार हमारे रिजनल ऑफिसर साहब थे। पिछली बार आरओ सर थे।

उपखण्ड अधिकारी
बल्लभनगर

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम– सेजलाई :–

और अब सरपंच साहब तो यहा मौजूद भी नही है। पिछली बार थे। एक दो जनो ने किसी ने आवाज उठाई उसके खिलाफ तो उनको बाहर ले जाके बना दिया उनकों। सर हमें जरूरत नही है इस चीज की सर आप मेरा पोईन्ट नोट कर रहे है ना हमें माईन्स की कोई जरूरत नही है सर यहा पे।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपकी बात सक्षम स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी। और कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है।

श्री भगवत सिंह सारंगदेओत निवासी–सेजलाई :–

मेरा मकान देख लो आप और कुछ नी चाहिए। एक खाट लगाने के लिए हेना मतलब पानी भरता है खाट नही लगा सकते। तो उसका क्या किया जाए।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

तो क्या मतलब आप कारण क्या बताना चाहते है ऐसा क्यो ? मतलब दरार।

श्री भगवत सिंह सारंगदेओत निवासी–सेजलाई :–

मकान में इतनी दरारे हो गई है। एक दिन प्लास्टर एक पट्टी का पूरा प्लास्टर पडा था ब्लास्टिंग की वजह से मेरा खाट लगा था। और थोडा साइड में पडा था। बाकी तो वो मेरे ही लग जाती थी।

श्री दलपत सिंह सारंगदेओत ग्राम– सेजलाई :–

हम सभी गांवासियों की यही समस्या है। जो पहले माईन्से चल रही है। इनमें बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग होता है। ब्लास्टिंग की वजह से हमारे सारे सेफटीक टैंक है हमारे पानी के होज सारे फट चुके है उसमें पानी रहता नही है। तो फायदा तो हमे कम हुआ है। नुकसार काफी ज्यादा हुआ है। हम सब ग्रामवासी यह चाहते है। आगे से कोई माईन्स अलोट नही हो। और हमारे यहा माईन्स की जरूरत नही है। जो है वो भी हम नही चाहते बंद हो क्योंकि हमने कितनी बार बाहमत किया लेकिन वो ब्लास्ट के लिए मानते नही है। अपने हिसाब से करते है। उपर वाले अधिकारी सुनते नही है। तो ब्लास्ट भविष्य में व्यक्ति जीवन में एक बार मकान बनाता है। पाई–पाई जोडके वो मकान ही फट जाता है। उसमें रह नही पाता है। आप सारे मकान देखिए आसपास में जितने भी मकान है सारे में दरारे आ चुकी है। तो हम चाहते है आगे भविष्य मेंहमारे यहा माईन्से नही हो। जो चल रही है। वो भी हम चाहते है बंद हो। हमारा सभी का गांव से यही सुझाव है। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण तो खराब हो ही रहा है। साथ में पानी की समस्या हो रही है। अभी गर्मी के टाइम में हमने टेंकरो से पानी पिलाया। और मै यहा सेजलाई जो राजस्व ग्राम वहा तो पानी

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

नही है। पहले से पानी नही है। और माईन्स लगने के बाद पानी की समस्या और ज्यादा होगी। तो उसका क्योंकि हम बार बार समझाते है। लेकिन ब्लास्टिंग बहुत ज्यादा होती है। उसमें कोई पता नही हमें भी इतना नियम कानून ध्यान में नही है। कि कोई कितना ब्लास्टिंग होना चाहिए। हम आगे जाते है तो हमे टरका दिया जाता है। तो हम चाहते है कि हमारे भविष्य में माईन्स न हो। कोई ग्रामवासी दुखी न हो। परेशान न हो।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

ठीक है आपकी बात जरूर आपकी बात सक्षम स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी। यह जनसुनवाई का अयोजन इसीलिए है कि ताकि आप सभी लोगों की बात या आपके जो भी सुझाव आक्षेप है उसको सुना जाए। और सक्षम स्तर पर इसका डिसीजन लेगे निर्णय लेगे उनके पास आपकी बात को प्रेषित किया जाएगा।

श्री दलपत सिंह सांरगदेओत ग्राम– सेजलाई :–

जब भी सर हम पाबंद करते है तो होता नही है। ब्लास्टिंग का तो पता नही अब उपर से परमिशन ले आते है अब कितनी परमिशन लेकर आए हमे पता नही हम उनको बोलते है। के भाई ब्लास्टिंग से हमारे मकानों में दरारे आ रही है। रसोई में सामान घिर जाते है। शिकायत तो आनी ही आनी है। यह अपने नियम में रहकर काम नही करेगे तो हम माईन्से चलाने नही देगे सीधी सी बात है।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

और कोई कुछ बोलना चाहता है।

श्री चुनीलाल लौहार ग्राम–शिशवी :–

साहब क्या हम सब खेती बाडी करने वाले लोग है और हमारा जल स्तर हमारे गांव का इतना नीचे चला गया है। कि न तो हम बोरिंग करवा सकते है। इतने हमारे इतना भी बजट नही है। कि हम इतनी गहराई तक जा सके। और इन माईन्सों से हमे कोई फायदा नही हो रहा है। नुकसान ही हो रहा है। और आप हमारे गांव मे जितनी भी माईन्से है उनको सबको बंद करने की कार्यवाही करे। मेरी तो आपसे यही गुजारिश है और इससे हमारे गांवों का कोई विकास नही हो रहा है और नुकसान ही हो रहा है। इसलिए में यही जानता हूँ। में क्या हमारे पूरे गांववासी सब जने यही चाहते है कि माईन्सो को आप यहा से बंद करवा दे। यह इनका, इनके इस दायरे में रहेगे उस दायरे में रहेगें। वो दायरे से हमारा कोई लेना देना नही है। हमारे तो इनको बंद करो। बस मेरा तो यही कहना है।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम– सेजलाई :–

यह माईन्स जो खनन है ना धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे है इनकी कोई क्षमता तो होनी चाहिए। कि बस बोस यह चारागाह भूमि है। वह इन पर लीज लगा देते है। गर्वमेन्ट का कुछ नियम तो हेना। कि चारागाहा भूमि पर अगर आप लीज लगवाते हो तो उसी भूमि को खरीद के उसी क्षेत्र में देनी होती है। ताकि यह जानवर है हमारे मवेशी वो वहा पर घास खा सके। अब मवेशी को हम छोड भी नही सकते। माईन्स की तरफ जाते है। कोई मवेशी आता है घर पर कोई उधर ही चला जाता है। हो सकता है उन माईन्सों के अन्दर ही दफन हो जाता है। कुछ भी हो सकता है। हमे इसकी परेशानी है। पर इसलिए हम आपसे आज्ञा कर रहे है।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

कोई बात नही जो भी आप जो भी आपको कहना है जो आप कहना चाहते है। आप बता सकते है। हम आपकी बात को सक्षम स्तर पर प्रेषित करेंगे। मैं उस पर बात पर आपके सवाल पर अभी कोई मैं निर्णय नही दे सकता। आप मुझसे अगर पुछना चाहे तो मैं उस पर निर्णय नही दे सकता। आपकी बात को सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। जी हम लोग सिर्फ आज एक जनसुनवाई का आयोजन इसीलिए किया जाता है। ताकि अब लोगो के जनसमुह का जो भी आक्षेप है सुझाव है शिकायत है उसको सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जा सकता है। वो आप सभी लोगों के सुझाव मतलब एक जो कमेटी होती है। वो उस पर डिसिजन लेती है।

श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम– सेजलाई :–

हमे इनसे आपत्ति नही है। अगर इनको किसी को भी लगता है। कि गांव वालो को आपत्ति है। इसकी कि पर्सनली में ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ। इनको जलन हो रही है तो ऐसा कुछ नही है। आपत्ति यह है इन्होने जो ब्लास्टिंग की है। यह खनन धीरे धीरे आगे ले जा रहे है। हमारे जो शिशवी गांव में मेरे अंदाज से 300–400 मकान होगे। सब पूरे करके उन मकानों में पर्टिकुलर किसी एक का मकान नही खराब हुआ है सभी का हुआ हैसभी का हुआ है। अब नही चाहिए जितना इन्होने कमा लिया बहुत है बस। इससे हमारे घर का जो पैसा जेब का लगाके हम हमारे घर की मरम्मत कर देगें। पर अब नही चाहिए। इसी तरह से चलता रहेगा। तो आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे या हम कहा जाएगे।

श्रीमती केसी प्रजापत ग्राम–शिशवी :–

यह सब मेरे जो भाई है पिता समान बडे जो है। यह सारी बाते बता रहे है। सारी बाते सही है। उसमें एक बात भी गलत नही है। उनके साथ हूँ और वो वही जो वो बात बोल रहे है। वही बात मै बोलने वाली हूँ। पर मै आपको यह बता रही हूँ कि इस पंचायत के सामने जो मकान बना हुआ वो मकान मेरा है और आपको आज मै सबको साथ लेकर जाउंगी और मेरा मकान में बताउगी। जो मतलब जिसकी भी

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

Uplal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

माईन्स है। उन्ही के हिसाब से हुआ है। आप तो अभी परमिशन ले रहे हो। हम आपको बोल रहे है। हम आपको नही लगाने देगें। पर मेरा तो नुकसान हो चुका है ना। अभी मकान बनाया है चार साल हुए है। ज्यादा मेरे को नही हुए है। और मेरे दो बच्चे है मेरे पति है। और हम नौकरी वाले लोग नही है। मजदुरी वाले लोग है। मेरे पति आज भी 300 रूपये ही कमाते है। 100–200 रूपये की मजदुरी में भी करती हूँ। और बच्चे है वो भी 300–300 रूपये कमाते है नौकरी वाले कोई नही है। और मै 17 साल किराये पर रह चुकी हूँ। उसके बाद में मैने यह मकान बनाया है। अभी तो इसमें दरारे पडी है। पता नही चार साल में घिरे 5 साल या 10 साल में घिरे। पता नही ये मकान घिर जाए। कल मेरे बच्चों की भी शादी करवाउगी मै। मैने पता नही फटा कपडा पहना कुछ खाया या नही खाया भूखी रही तरी रही। मेरे सास–ससुर के मकान नही था। हम शामिल रहते थे। उसके बाद में मैने यह मकान बनाया। अब मेरे भविष्य का क्या बताउ मै। मेरे बच्चे 300 रूपए आज कमाते है। वो मकान बना सकेगे क्या हम 4 में 2 बच्चे है मेरे। 4 ने मिलके यह मकान बनाया है। आप पहले की बात बताओ बात की बात तो यह सारे कर रहे है। पहले की बात हो चुकी है। और मेरा मकान खराब हो चुका है। तो मुझे अब क्या मिलेगा। गांव वालो के साथ में हूँ गांव वाले मेरे साथ में बोल सकते है। मेरा नुकसान हो गया है। उसमें आप मेरा साथ देगे। पहले की बात नही आज की बात रही वो इन्होने बता दी मैं पहले की बाते बता रही हूँ। मेरे पास में पचास हजार रूपए मतलब पचास लाख मेरे मकान में लग गए है। मेने कैसे कमाए है। मेरी कथा सुनाउ ना तो मेरे आसु बहने लग जाएगे। और आप भी देखने लग जाओगे मेरी जिदंगी खत्म हो जाएगी। मै जो मेरी कथा आपको बताउगी। वो कथाए में आपको नही बताना चाहूती हूँ। क्योकि आपके पास में इतना टाइम नही होगा और मेरे भाई बहन बैठे है इनके पास मे भी इतना टाइम नही होगा। और आप यह बाते जो करके जा रहे हो। आप करो या ना करो कोई बात नही आगे की सलाह हमे देना। वो दरवाजा हम जरूर खटखटाएगे। जो हमसे होगा जहा जाना होगा जो भी करना होगा वो हम करेगे। मेरी महिला मेरे जो गांव की महिलाए है। वो सारी महिला मेरे साथ में है। अब सब महिलाओं को मै लेके आउगी।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

जरूर आपकी बात सक्षम स्तर पर प्रेषित की जाएगीं। और यदि किसी के ओर कोई मुद्दे है। यदि अन्य किसी व्यक्ति के भी पर्यावरण से सम्बन्धित अन्य कोई मुद्दे है तो कह सकते है।

श्री देवेन्द्र सिंह ग्राम–शिशवी :–

सर आप पर्यावरण से है। जब आप माईन्सों की एनओसी हुई। तो आप माईन्सों वालो को पर्यावरण के लिए क्या बोला और उन्होने क्या किया। आप बताइए हम पर्यावरण का यह करते है। यह कह रहे है हमारा मकान घिर गया पानी का स्तर नीचे चला गया। हमारे गांव में 90 प्रतिशत लोग पशुपालन और खेती में ही है। कहा जाएगे आपको पता है। यह कह रहे है वो पशु वहा घिर जाते है। सेफटी भी तो होनी

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

चाहिए। मै यहा माईन्स चला रहा हूँ। ठीक है सरकार है। न तो कुछ सेफटी है। कोई बाउन्डरी वॉल नही है सब कह रहे है। आप सुन रहे हो इसमें आपका क्या पर्यावरण का क्या किया। नही आप कह रहे हो कि हम पर्यावरण के लिए स्वीकृति लेने आए है। तो आपने माईन्सों वाले को क्या मजबुर किया। क्या आपने पर्यावरण का क्या किया। कितनी माईन्से चल रही 400–400 मीटर खाने कर रखी है। बस आगे यह फॉर्मलिटी से काम नही होगा। अब तो आपको करना पडेगा या लीज नही देनी। फॉर्मलिटी नही। हम पूरा गांव अब जहा जाना होगा। हम जाएंगे। लेकिन आप माईन्स चला रहे है तो आप पर्यावरण के लिए उन्होने क्या किया। कि गांव वालो को क्या फायदा हुआ थोडा तो होना चाहिए। ठीक है हम भी मानते है खनन है फैल्सपार है निकलता है लेकिन 90 प्रतिशत नुकसान यह नही हो सकता।

श्री कैलाश पटेलग्राम–शिशवी :–

मेरे खुद के एमएल नम्बर 01/2018 मेरी खुद की है। मैने अभी बारिश शुरू होने से 100 ट्री गार्ड यहा पंचायत से लेके चौराहे तक और प्रेम नगर तक 100 ट्री गार्ड लगाए। अभी गांव वाले ही मतलब चोर किसी को नही कहते पर गांव वाले ही उठाके ले गये। मुश्किल से 10 ट्री गार्ड बचे होगें। रात में उठाके ले जाते है।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

कृपया करके एक–एक व्यक्ति बोले। एक साथ देखे सभी व्यक्ति बोलेंगे। तो आपकी बात को एक साथ लिख पाना सम्भव नही है। एक–एक करके बोले। मेरा आप सभी से निवेदन है एक यह उपस्थिति पत्र है इसमें सभी साइन कर दे। अपने क्योंकि जिस आदमी की उपस्थिति दर्ज ही नही हो पाएगी। उसकी बात सक्षम स्तर पर हम कैसे रख पाएंगे। यह आपकी इस पूरी जनुसनवाई की विडियों रिकॉडिग हो रही है। हम भी लिखते है। विडियों रिकॉडिग भी होती है। विडियों रिकॉर्डिग के माध्यम से आपकी हर एक बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह सक्षम स्तर पर प्रेषित होगी। आप इस बारे में निश्चित रहे यह उपस्थिति पत्र है कि आप यहा पर उपस्थित हुए इस जनसनुवाई में तो जितने भी लोग यहा पधारे है। उपस्थित है कृपया सभी अपने दस्तखत हस्ताक्षर करें।

श्री भेरूसिंह, ग्राम– सेजलाई :–

यह कि कैलाश जी की माईन्स है। कैलाश जी बोल रहे जालिया गांव वाले उठा के लेकर चले गये ऐसा बोल रहे है। जाली गांव वाले उठा कर लेकर चले गये। कहा कौनसा पेड लगाये इन्होने जो वो जाली उठा कर लेकर चले गये। बाकी हमने कही जाली वगेरा कही नही देखी ऐसी जो हमारे माईन्स की सेफटी के लिये। हमारे जितने भी मवेशी जा रहे है। वो सीधे माईन्स की तरफ बढते है। जो भी है जो पर्यावरण कर रहे यह लोग भू–माफिया कल की डेट में हम सारे गांव वाले जाके इनकी माईन्स के उपर हमारे यही

उपखण्ड अधिकारी
बल्लभनगर

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

के रहने वाले है। हम उन्ही के साथ औबजेक्शन करेगें। यह आगे से भी माईन्स चला रहे है। यह ऐसे क्यू हो रहा है। हमारे मवेशी कहा जाएगे बताओ। सबसे बडी बात है यह।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

उपस्थित पत्र को आपने पड़ लिया हो तो कृपया करके साइन करें। सारे लोग जो भी यहॉ पधारे है। इस पर हस्ताक्षर कर दें।

श्रीमती निर्मला लोहार ग्राम–शिशवी :–

और मैने इतने साल मेरे 35 साल लग गये मेरे शादी किये हुए। एक–एक रूपय मैने सिलाई करके इकट्ठा करके मैने मकान बनाया कितनी मेहनत की होगी। दिन रात मैने मेहनत की तब जाके मकान बनाया वो भी मकान में सारी दरारे आ गई चारो तरफ पानी पडता है। बाहर जाना पडता है। यह बोल रहे है ब्लास्टिंग का झटके से भूकम्प आता है वैसे लगता है। और हम भूकम्प से कितने लोग डरते है। घर से बाहर आ जाते है। हम लोग कितने परेशान हो रहे है। क्योकि यह बार–बार ऐसा होता है। और यह इतनी माईन्से लगने से हमें गांव में कुछ इतने बडे बडे लोग बैठे है। हमारे गांव के उनको भी फायदा नही हुआ। और हमारे बच्चों को भी फायदा नही हो रहा है और फायदा तो कुछ मिलता भी नही है। और मवेशी वहा चरने जाते है। मवेशी तो बोल के खा सकते है नही। उसको अच्छा खाना हो तो कहा खाते है मिट्टी होती है सारी घास तो मिट्टी से हो जाती है। वो कैसे खाती है घास मवेशी घास खा सकते है हम तो बोल के सफाई करके हाथ को पौछके खालेगें खाना लेकिन गाय और भैंस कैसे खाएगी वो मिट्टी की कैसी खाएगी। सारी गंदगी हो रही है। और गांव में इतना हो रहा है। इतना पता नही बाहर हम लोग तकलीफ से बाहर काम करने के लिए जा रहे है। तो हमे गांव में माईन्से लग रही या हमे भी मालूम नही है। कि इतना बडा काम हो रहा है। कि हम एक औरत है तो औरत को भी जरूरत होती है काम की सब जरूरत तो औरतो को भी होती है पैसे की तो काम बाहर से लोग आ आ के कर रहे है। क्या आपकेगांव में लोग नही रहते है क्या। सारे जानवर है क्या। हमे रखना चाहिए काम पे। तो यह माईन्से लगे या नही लगे हमें कोई फायदा नही है। और चाहे मत लगे। हमे मेहनत करके खाना है। पानी कहा से लाएगे खेती करेगे तो पानी चाहिए। पीने के लिए पानी चाहिए वो पानी साफ नही मिलेगा। तो हम तो बीमार ही पडेगेना। बीमारी के लिए पैसे कहा से लाएगे। और सारे तो माईन्स है पैसे तो सबको कमाने पडते है। हम लोग कैसे कमाते है हम लोग के धंधा है नही। रूपये आज रहेगे ना कल खत्म हो जाएगें। दिन का खर्चा निकालने के लिए सोचना पडता है। आज का दिन कैसा निकले।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

मै आप सभी आग्रह करना चाहता हूँ रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से जो भी आप जिन्होने अपने सुझाव दिए है, कृपया करके आप उपस्थिति पत्र पर साइन करे। जो भी बाकी चीज आप अगर कुछ भी लिखित में आक्षेप या सुझाव देना चाहते है, तो आप वो भी दे सकते है।

श्री कैलाशचन्द्र जैन, ग्राम– शिशवी :–

मेरा यह निवेदन है कि दिनो दिन बढती जा रही है माईन्से जिसके कारण से हमारे मकान जर–जर हो रहे है और पास वाले गांव में जो फलेट गांव है। कम से कम 100 आदमी बिमार है। उस पानी की जांच भी करवाई जाए लेबोरेट्री में। किस कारण से वो बीमारी हो रही है। और जो 10 आदमी जो चले भी गए मै आपसे निवेदन की उस माईन्सों की वजह से है या वातावरण से है या क्लाइमेंट है या ऐसा कुछ है। तो उससे पता लगेगा कि माईन्सों से बीमारी हो रही है या क्लाइमेंट से ऐसा वातावरण से हो रही है। मेरा यह भी निवेदन है दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ जो माईन्से पूर्व में लग गई ठीक है उनको चलने दो अब नया कोई पंचायत वाले एनओसी नही देगे। और एनओसी देगे तो सरपंच के विरूद्ध और पंचायत के विरूद्ध हम कार्यवाही करेगें। यह कोई तरीका नही होता है। यह तो अभी दो मिटिंग हुई है अभी यह यह प्रचार करके। दो मिटिंग हुई है पहले एनओसी अपने को पुछके थोडी दी है इन्होने। यह दो बार हुई है। यह आपकी गाडी गुम रही है। बाहर गुम रही है। कह रहे है कि इतनी तारीख को मिटिंग है तो पब्लिक भी आयी है। आज अपना दुख सुख बता रही है आपको। हम यही चाहते है। कि एनओसी देने वाले के हम यह कह रहे कि पूर्व में जो इन्होने बगैर ग्रामसभा की अनुमति से इन्होने एनओसी दी है। उनको निरस्त करवाएगे कोर्ट में जा करके। हम स्टे लगाएगे। और मेरे टाइम में एक माईन्स वाले को माताजी के मंदिर उसने माईन्स लगाई। मैने पुछा था किससे पुछ के लगाई तुने। और वो चरणोट थीतो मैने उनको पुछा था। कि हमने माईनिंग डिपाटमेन्ट वालो ने दिया, माईनिंग डिपार्टमेन्ट कौन होता है चरणोट पे बगैर पंचायत की अनुमति से माईन्स वाला कौन होता है। मैने जाके उसी समय कोर्ट से स्टे लाके बंद करवा दी। वो अभी बंद ही है। ऐसी बात थोंडी होती है। कि सरपंच किसका होता है सरपंच गांव का होता है। गांव के द्वारा चुना जाता है। गांव के विरोध में काम करता है। तो हम उसके विरोध में हम कार्यवाही करेंगे। जनता परेशान है। जिनका मकान जर–जर हो रहा है। बिचारा गरीब कहा से बनाएगें। हम गांव रोज 100 रूपए कमा रहे है ये ठीक नही है। अपना जीवन पालन करें। या मकान को बनावे। मेरा यह निवेदन है जो पूर्व में हो गया वो हो गया। अगले के लिए कोई ऐसा एनओसी नही देना है। और कोई पंच नही लेगे। जो ब्लास्टिंग भी हो रहे उसमें आप थोडा में तो यह केह रहा हूँ पहले तो आप पानी की लेबोरेट्री करवाओ। 100 आदमी बीमार हो रहे हैं कैसे हो रहे पानी की वजह से हो रहे है। या क्लामेंट से हो रहे है। कैसे हो रहे है इसकी भी जांच हो जाए। ताकि 10 आदमी तो चले भी गए। हमारा तो आपसे

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

यही निवेदन करते है। अभी दौड भाग हुए आपने ग्रामसभा रखी है। और आपने ग्राम को बुलाया आपने एनओसी के लिए आपने जांच की पूर्व में हमें कोई पता नही आपने किसको एनओसी दी किसको नही दी। और हर साल यह होता हर साल एनओसी होती है। एनओसी लेते है तो आप गांव वाले को कोई तकलीफ तो नही है। वापस उसको रिवाईज कर देते है। रिवाईज करते है तो वो भी होना चाहिए। ग्रामसभा हो उसमें ग्राम सहमति दे तो उसके बाद उसको एनओसी देवे। वापस रिवाईज में भी यह मेरा निवेदन है।

श्री जोधसिंह ग्राम– सेजलाई :–

बडी दुविधा है आदरणीय कैलाश जी जैन साहब बोल रहे थे। कि हम गांव वालो को पता नही है। गांव वालो को छोडो मै वार्डपंच हूँ। मुझे ही पता नही होता किसको एनओसी दी किसको एनओसी नही दी अभी तक इन चार सालो के अन्दर मुझे भी पता नही है। कि किसको एनओसी दी है किसको एनओसी नही दी है और एनओसी दी है तो क्या मिला पंचायत को। मुझे भी अभी तक यह पता नही है। मै आपको सच कह रहा हूँ। ओर मै वर्तमान का वार्डपंच हूँ। और पडोसी वल्लभनगर तहसील में गुपडी पंचायत के अन्दर राजस्व ग्राम जसपुरा साहब बडी दुविधा है। मेरी वहा नौ बीघा जमीन है। नौ बीघा जमीन है। जस्ट पास वाले ने वो जमीन बेच दी। बेचने वाले ने बेच दी। लेने वाले ने ले ली और वहा फैक्ट्री लगा दी। क्रशर लगा लिए, क्रशर लगाए अपने इनकम कर रहा है। बेचने वाले ने पैसे लेकर बैठ गया। पडौस में हमारी जमीन है। वहा से क्रशर की धूल उडी रही है। हमारे खेतो में आ रही है। आज स्थिति यह है। हम ना बोल सकते है ना वहा घास काट सकते है। कुछ नही है वहा पे। कारण उपर मिट्टी जम गई है। घास के उपर वो गाय भैस खाएगी नही उसको। और ना उसमें कोई उपजाउ भूमि के अन्दर ना कुछ होता ही नही है ना बाजरा होता ना मक्की होती है।कुछ भी नही होता है। इतनी बडी दुविधा है हमारे सामनेओर जस्ट पास में अभी आज कल में यह सुनने को आ रहा है। हमारे पदमपुरा की जमीन जो है।तुम्हारे माईन्स के लीज में हो गई है। पता नही किस गांव से गई। किसने करी लेकिन दुविधा हम लोगो को यह हो रही है। आस पडोस में हमारे बिछावडा और गुपडी पंचायत के अन्दर वो खाने है। जस्ट हमारे पास में मकान है वहा ब्लास्टिंग होती है हमारा मकान जर जर हो गया है बिल्कुल टुटने की स्थिति में हो गये है सब। मै सब पुरी बिल्डिंग में ऐसे ऐसे दरारे पड गई है। ऐसी स्थिति हो गई है। हम कहा जाए। किसके पास जाए। फैक्ट्री वाला अपना काम कर रहा है। और मर रहे हम लोग किसान लोग। कुछ नही हो रहा है हमारे पास। और हम जाए तो किसके पास जाए इसका सोल्यूशन ही क्या है। और पानी की समस्या इतनी हो गई सर मतलब हमारे यहा पर पानी ज्यादा समस्या नही थी पहले। लेकिन अब खनन होने के बाद इतनी समस्या हो गई है। पानी है ही नही हमारे कुओ में पानी खराब हो गया। पानी छोड रहा तो पानी हमारे खेतो में आ रहा है और कुछ भी नही है। ऐसा लग रहा है कि यहा से छोडकर हम लोग चले जाए यहा से ऐसी कंडीशन हो गई है हमारी धन्यवाद।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री दलपत सिंह सारंगदेओत ग्राम–सेजलाई :–

हमारे यहा गांव है राजस्व ग्राम पदमपुरा में वहा 300 बीघा के आसपास जमीन जो बिलानाम पडी थी। वो किसी को पुछते नही गर्वमेन्ट ने उपर से ही पता नही लीज के लिए केन्द्र सरकार ने उसको लीज के लिए पाबंद कर दिया। तो हम चाहते है ऐसी जमीने गर्वमेन्ट हमे तो पता ही नही चलता है उपर से अभी हमारे यह चारागाह हमें तो पुछा नही पंचायत वालो ने चारागाह में डायरेक्ट ही लीज कर दी। तो यह तो थोडा सा आप अधिकारी है। तो हम चाहते है आपसे द्वारा मैसेज भेजा जाए। यह चारागाह और बिलानाम जो जमीने पडी है। अब उपर से डायरेक्ट लीजे दे देते है। फिर हमारे यहा पर्यावरण तो ठीक है। अब रहने की स्थिति भी नही रही है ऐसी स्थिति रही तो सर निवेदन है आपसे आगे से न तो यह जो चल रही है माईन्स उनको भी पांबद किया जाए। और आगे से हम नही चाहते कोई माईन्स चालू रहें। और जो जमीने हमारी यहा अभी जो लीज पर लगी हुई है वो भी निरस्त कर दी जाए। क्योकि चारागाह भी लगी हुई है हमारी बिलानाम जमीने 300 बीघा के आसपास तो हम चाहते है कि सर आपसे निवेदन है कि यह जो चारागाह है बिलानाम जो जमीने पडी है। हमारी गायो के लिए गौशाला के लिए हमने प्रस्ताव भेजा वो तो अलोट हो ही नही रही है। और माईन्सों के लिए तो पता नही गर्वमेन्ट कहा से अलोट कर देती है और माईन्स अलोट हो जाती है हमे पता ही नही चलता तो हम सर आपसे निवेदन करना चाहते है। हमे जो माईन्स के लिए जमीने अलोट हो रही है। आगे से हमें माईन्स की जरूरत नही है। हम ग्रामवासियों को और हमे वैसे भी कोई रोजगार मिलता नही है माईन्सो से जो है वो माईन्स वाले ना तो उन्होने तारबंदी भी नही कर रखी है हमने किती बार पांबद भी किया है जो माईन्से चल रही है। उन्होने तारबंदी भी नही कर रखी है जो मवेशी जाते है तो नुकसान तो होता है। तो उनको पाबंद कर दीजिए या तारबंदी कर दे और ब्लास्टिंग है जो अपने हिसाब से करे। या फिर बंद कर दे सीधी सी बात है।

श्री बालूलाल लौहार ग्राम–शिशवी :–

आप अगर बंद नही करवाते तो हम गांव वाले बंद करा सकते है चाहे तो अगर आप मना कर दो हम गांव वाले सब कुछ कर सकते है। पर पहले आप क्या राय लेगे। यह होगा हम गांव वाले वैसे ही बंद करा देगे। वो हमारे हाथ में। पूरा गांव है आप टेंशन मत लो। आप टेंशन मत लीजिए आप आपसे भी नही होती है फिर हम कराएगे। हम कैसे भी कराएगे करवा देगे।यह चीज आपको लिखकर कर दे देते है। आप कार्यवाही करो नही हो तो हम कराएगे जरूर कराएगे। चाहे मरना पडे कुछ भी करना पडे। मरना तो है ही है वैसे। तो इसे बंद करके मरें। ठीक रहेगा। आपको यह काम करना होगा धन्यवाद।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

अब मैं श्रीमान उपखण्ड़ अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस परियोजना के बारे में अपने विचार उपस्थित ग्रामवासियों जनसमूहों से साझा करें।

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

श्री सुरेन्द्र पाटीदार, एसडीएम, वल्लभनगर, उदयपुर :–

आज की इस पर्यावरणीय जनसुनवाई में जो ग्रामीण जनो ने अपनी जो सुझाव या समस्या रखी है उसको आप लोग नोट कर ले। और फिर उसको जो कमेटी बनी हुई है। उसके समक्ष प्रस्तुत कर दें। उसके बाद ही आगे की जो कार्यवाही हो आपकी जो प्रक्रिया हो उसके बाद ही आगे इम्पलीमेन्ट करें। इनकी जो समस्याए है वो वाजिब है पहले से जो माईन्से चल रही है उसके लिए जो सीएसआर फण्ड जो आता है। उसमें भी इनका यह कहना है इनके यहा कुछ भी यहा डवलपमेन्ट के काम ना पर्यावरण के असुविधा की दृष्टि से संतुलित रखने की दृष्टि से जो वृक्षारोपण है। सीएसआर में जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम के तौर जो काम है वो किए जा रहे है या नही किए जा रहे है इसका भी इव्यलूशन करना जरूरी है क्यूकि इनकी जो वास्तविक सुझाव आए है। उनको प्राथमिकता के साथ नोट कर ले और फिर विडीयो और आगे की कार्यवाही प्रक्रिया करें।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

अन्त में आप सभी ग्रामवासी एवं जनसमूह का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय की ओर से आभार प्रकट करता हूँ एवं इस परियोजना हेतु आयोजित पर्यावरणीय जनसमूह में उपस्थित हुए आप सभी ने यहा अपना सहयोग प्रदान किया। इसी के साथ आज आयोजित हुई इस जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "स"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद सहायक पर्यावरण अभियन्ता महोदय ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर, उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(सुरेन्द्र पाटीदार)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर
जिला–उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

(गोपाल सिंह गुर्जर)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

संलग्नक : 1

मैसर्स जी.एल मिनरल्स, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार (एम.एल.न. 50/2023, क्षैत्रफल– 2.9377 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 2923147 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 253562 TPA निकट ग्राम– सेजलाई, तहसील–कुराबड़ (गिर्वा), जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 08.11.2024 को प्रातः 11.00 AM बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम–शिशवी, तहसील–कुराबड़ (गिर्वा), जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेन्द्र बी. पारीदार	SDM. Vallabhnagar	[signature]
2	Gopal Singh Gurjar,	AEE, RSPCB	Gopal Singh
3			
4			
5			
6	दलपतसिंह सारंगदेवोत	उप-सरपंच	[signature]
7	लक्ष्मणसिंह राठौड़		[signature]
8	मोहसिंह	सेजलाई	मोहसिंह
9.	पुष्पेन्द्रसिंह राठौड़	पदमपुरा घनेला	[signature]
10	कैलाश चन्द पटेल	शिशवी डांगीयों की भागल	[signature]
11	Jainsingh Sisodiya	(वार्डपंच)	[signature]
12	दलपतसिंह सारंगदेवोत		[signature]
13	रघुवीर सिंह सारंगदेवोत	सेजलाई	रघुवीरसिंह
14	सुरेन्द्र सिंह	स.नं.: शिशवी	
15	देवीलाल लोहार	शिशवी	देवीलाल
16	कुबेर सिंह सारंगदेवोत	सेजलाई	Kuber Singh
17	केसो प्रजापत	शिसवी	केसो प्रजापत

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
18	गुड्डी मेघवाल	शिशवी	गुड्डी
19	निर्मला	शिशवी	निर्मला
20	नाथिय	शिशवी	नाथिय
21	भुपेन्द्र सिंह	सेजलार	भुपेन्द्र सिंह
	शम्भुराम मेघवाल	शिशवी	शम्भुराम
22	कैलाश / चन्दु	शिशवी	कैलाश /
23	नरेन्द्र सिंह सारंगदेवोत	सेजलाई (शिशवी)	[illegible]
24.	सत्यपाल सिंह सारंगदेवोत	सेजलाई (शिशवी)	[illegible]
25.	प्रवीण गरासिया	शिशवी	प्रवीण
26	भैरू सिंह	पदमपुरा	[illegible]
27	भगवत सिंह	सेजलाई	भगवत सिंह
28	नरेन्द्र सिंह	शिशवी	नरेन्द्र
29	रतनलाल पटेल	डांगीयों की भागल (शिशवी)	रतनलाल
30	भैरूलाल	शिशवी	[illegible]
31	सागर डांगी	शिशवी (डांगीयों की भागल)	सागर
	मोहन	शीशवी	मोहन
	जितेश	शीशवी	जितेश
	चेतन सिंह सारंगदेवोत	सेजलाई (शिशवी)	चेतन
	रघुराज सिंह सारंगदेवोत	सेजलाई	[illegible]
	भरत	शिशवी	
	देवेन्द्र	शिशवी	[illegible]
	खुशवन्त प्रजापत	शिशवी	खुशवन्त

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	राजेन्द्र सिंह	सोजन्लाई	Rajendra
	कैलाश चन्द मीणा	गुरुधाम प्रेमनगर	[illegible]
	राजकुमार मीणा	गुरुधाम प्रेमनगर	

/ सेवामे

दिनांक
8/11/2024

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
जिला उदयपुर (राज.)

विषय => मांइन्स के फैलाव को रोकने हेतु। (शिशवी)

महोदय

सविनय नम्र निवेदन है कि हमारे गॉव शिशवी मे खनन माईन की वजह से गॉव मे समस्या आ रही है गांव के 3 किलोमीटर के बाहर खनन होनी चाहिए किन्तु पंचायत ने गांव के 1 किलोमीटर के अंदर NOC जारी कर रखी है जिसके कारण गांव मे रहने वाले लोगो को कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पड रहा है। जो इस प्रकार है →

① पीने के पानी की समस्या
② माईन मे पावरफुल ब्लास्टिंग की वजह से घरो की छते फट रही है।
③ घरो की दिवारो मे दरारे।
④ गांव मे चारागाह भूमि नही बची है और जो बची है वहॉ और कब्जे किये जा रहे है।

आवेदन कर्ता
समस्त ग्रामवासी शिशवी

नरेन्द्र
Kuber Singh
पंकज सिंह
नन्दलाल
सुरेश
कुलदीप सिंह
रघुवीर सिंह
मोती सिंह

भोलाराम डालूजी

जितेश डालचंद कन्हैया रतनलाल

भरत निर्मला गंगाराम ईश्वर

मोतीलाल निर्मला ओमजी भगवतसिंह

भेरुलाल सुशीला मंगलसिंह

प्रतापसिंह गुड्डी मेघवाल दिलीप

खुशवन्त प्रवीण गज्जू

राजेन्द्रसिंह चेतनप्रजापत

प्रकाश रमेश जैन मोतीचंद चांदमल लोहार

नन्दसिंह ओमदेव प्रकाश नेम

प्रकाश चन्द भेरूलाल शांतिलाल

ओमप्रकाश प्रेम मेघवाल

प्रकाश लीला

मगल राजू

मोहन डाली बाई

दलपतसिंह

सह निवेदन श्रीमान अध्यक्ष = उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
जिला, उदयपुर

2023, क्षेत्रफल 1.5099 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 224046 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नाकिंत कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
   6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर ।
   7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सुचिवालय, जयपुर।
   8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 07.11.2024 (गुरूवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड- 19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है । साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 331964

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ 470 यूसीसीआई भवन के पीस, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स महादेव माईनिंग एन्टरप्राइजेज, एम.एल.न. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स महादेव माईनिंग एन्टरप्राइजेज, एम. एल. न. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 52 / 2023, क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 375397 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नाकिंत कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
   6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर ।
   7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर । 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 01:00 बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम- शिशवी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं ।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 331966

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ 470 यूसीसीआई भवन के पीस, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स जी.एल. मिनरल्स, एम.एल.न. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जी.एल. मिनरल्स., एम.एल.न. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार', ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 50 / 2023, क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 253562 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नाकिंत कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए- 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
   6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर ।
   7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर । 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम - शिशवी तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविडझ19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है ।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षैत्रीय अधिकारी

DNU 331965

वनवासी कल्याण परिषद के जिला मंत्री मगन डामोर रहे। मुख्य वक्ता दुर्गा भगोरा ने रानी दुर्गावती का जीवन परिचय दिया। इस अवसर पर राणा पूंजा भील के बारे में प्रदेश संयोजक लालूराम कटारा ने बताया कि पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को पढ़ने का आह्वान किया। संचालन जिला मंत्री मगन डामोर ने किया। शारदा देवी, सवीता देवी, ललिता देवी, सुनीता देवी, आशा देवी, सुशीला देवी, तुलसी देवी, रामलाल आदि मौजूद थे।

विस्फोटक फैंक युवती को जलाने के अभियुक्त को उम्रकैद

उदयपुर। अजा/अजजा अनिप्र अदालत की पीठासीन अधिकारी ज्योति के सोनी ने घर पर सो रही युवती को जान से मारने की मंशा से विस्फोटक फैंककर उसे जलाने के मामले के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

प्रकरण के अनुसार सोखवड़ा फला नया गांव निवासी सोनिया ने कोटड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी कि सात अक्टूबर को वह गरबा खेलकर अपने घर आई और खाट पर सो रही थी कि अचानक तेज धमाका होने से लहूलुहान हो गई। आरोपी सतीश पुत्र मणाँ निवासी नयावास ने उस पर विस्फोटक फैंका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक बंशीलाल गवारिया 9 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त सतीश को विभिन्न आजीवन कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।

प्रधानमंत्री ज

सराड़ा। चावंड मे प्रधानमंत्री जन

नवज्योति/सराड़ा। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी और उदयपुर सांसद डॉ.मन्नालाल रावत ने मंगलवार को चावंड में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सरकारी दवाई की दुकान का उद्घाटन किया। उद्घाटन में सन्त सानिध्य हितेस्वरानंद सरस्वती (कटावला मठ) का रहा। जनजाति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प गरीब तबके लोगो को सहज

बाबा महाकाल मंदिर कारछा में हवन

नवज्योति/खेरवाड़ा। बाबा महाकाल धाम कारछा कला पर नवरात्रि के तहत हवन किया गया।हवन पूजन समारोह आचार्य हितेश जोशी और अजय भट्ट के सानिध्य में किया गया, जिसमें भक्तों ने बाबा का आशीर्वाद लिया। मुख्य यजमान गोविंद सिंह भीमपुर, मोहन औदिचय, मयूर पटेल रहे।

सेल्फ एस्टी कॉन्फिडेंस

नवज्योति/खेरवाड़ा। पीईईओ लराठी में किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

उद्घाटन उप प्रधानाचार्य बाबूलाल परमार ने किया। बताया कि बदलते परिवेश में बालकों में जीवन कौशल, आत्मविश्वास में दृढ़ता व भयग्रस्त वातावरण उन्हें अवसाद की ओर ले जा रहा है। दक्ष प्रशिक्षक लक्ष्मीनारायण मेघवाल ने बताया कि वर्तमान में अभिभावक की बच्चों

क्नीक
ज ऐश्वर्या कॉलेज में
का आयोजन किया।
न. टैपिंग पॉइंट्स की
के माध्यम से हमारी
बीमारियों का इलाज
या था। यह तकनीक
संचालन एमबीए की
र्यशाला को सभी के

ल
उदयपुर (राज.)
म सूचना
त 1.5099 हैक्टेयर)
उदयपुर हेतु पर्यावरण
एम.एल.न. 11/2023
तहसील - वल्लभनगर,
ईन (एम.एल.न. 11 /
वर्ष (रोम) का प्रस्ताव
अभिलिखित) के समक्ष
बत आवेदन किया गया
त्रालय, भारत सरकार,
अनुसार लोक सुनवाई
है ।
लयों पर उपलब्ध है:-
त्र, झालाना डूंगरी,
- 216, अरन्य भवन
, अलीगंज, लखनऊ
, सचिवालय, जयपुर।
औद्योगिक क्षेत्र, मादडी
क्त परियोजना के लिए
: 11:00 बजे, भारत
पुर में उपस्थित होकर
नाए रखते हुए प्रस्तुत
की तिथि से 30 दिवस
उदयपुर मे भी प्रस्तुत
क्षैत्रीय अधिकारी

रकारक
डा
ो, बुखार, बदन
ता है।
ies)
aj)
(S)
urved.com
RJ/UD/29-

सड़क पर अन्य वाहनों की आवाज

हो गई तथा दोनों जमीन पर जा गिरें। दोनों के शोर मचाने से कुछ लोग पहुंच गए।

गया। ग्रामीणों ने यहां पिंजरा लगाने की मांग की है। लोगों ने बताया कि पहले भी यहां

का गुड़ा और केलवों का ... सितंबर और 1 अक्टूबर को ... लेकिन अभी तक उन जगहों का मूवमेंट नहीं दिखा। उदयपुर ... सील में लोगों पर हमला करने

हो गई। तब ... गया। इस क्षेत्र ... हमलों से लोग ... शरीर पर चोट ... मानना है कि उ

रामलीला में सीता हरण प्रसंग का मंचन

झाड़ोल। रावला परिसर झाड़ोल में रामलीला के छठे दिन में सीता,हरण का मंचन किया गया। वहीं प्रभु रामचंद्र जी की दुखी दशा देख सभी दर्शक व्याकुल हो गए। इतना सुंदर प्रसंग काशी के कलाकारों द्वारा दशार्या गया कि संसार को सुख देने वाले भगवान राम के ऊपर भी संकट आए थे हम तो कलयुग के मानव हैं हम पर दुख आएं तो क्या। रामचरित जैसे ग्रंथ से हमें मानव जीवन कैसे जीना चाहिए यह सीख लेनी चाहिए।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

LiFE Lifestyle for Environment

एफ 470 यूसीसीआई भवन के पीस, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स मारूति माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल.न. 11 / 2023 (क्षेत्रफल 1.5099 हैक्टेयर) 'क्वार्टज एवं फेल्डसपार', ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसूर्स मारूति माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल.न. 11/2023 (क्षेत्रफल 1.5099 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फेल्डसपार", ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला-उदयपुर जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फेल्डसपार माईन (एम.एल.न. 11 / 2023, क्षेत्रफल 1.5099 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 224046 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सुचिवालय, जयपुर।
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 07.11.2024 (गुरूवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड- 19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 331964

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

LiFE Lifestyle for Environment

एफ 470 यूसीसीआई भवन के पीस, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स महादेव माईनिंग एन्टरप्राइजेज, एम.एल.न. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स महादेव माईनिंग एन्टरप्राइजेज, एम. एल. न. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 52 / 2023, क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 375397 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जानो आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), ज़िला - उदयपुर।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 01:00 बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम- शिशवी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 331966

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

LiFE Lifestyle for Environment

एफ 470 यूसीसीआई भवन के पीस, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स जी.एल. मिनरल्स, एम.एल.न. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फेल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जी.एल. मिनरल्स., एम.एल.न. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फेल्डसपार', ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फेल्डसपार माईन (एम.एल.न. 50 / 2023, क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 253562 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए- 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम - शिशवी तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविडझ19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 331965

रानी दुर्गावती की जयंती समारोह

नवज्योति/खेरवाड़ा। खेरवाड़ा तहसील के राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास मे रानी दुर्गावती का 500वां जन्म जयंती वर्ष समारोह पूर्वक मनाया गया। अध्यक्षता छात्रावास अधीक्षिका ममता मीना ने की। मुख्य वक्ता दुर्गा भगोरा युवा समाजसेवी व जनजाति सुरक्षा मंच की जिला महिला प्रमुख रही। मुख्य अतिथि लालू राम कटारा प्रदेश संयोजक जनजाति सुरक्षा मंच एवं विशिष्ट अतिथि समाजसेवी हरिराम, पूर्व सरपंच प्रमिला ... वनवासी कल्याण परिषद के जिला मंत्री मगन डामोर रहे। मुख्य वक्ता दुर्गा भगोरा ने रानी दुर्गावती का जीवन परिचय दिया। इस अवसर पर राणा पूंजा भील के बारे में प्रदेश संयोजक लालूराम कटारा ने बताया कि पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को पढ़ने का आह्वान किया। संचालन जिला मंत्री मगन डामोर ने किया। शारदा देवी, सवीता देवी, ललिता देवी, सुनीता देवी, आशा देवी, सुशीला देवी, तुलसी देवी, रामलाल आदि मौजूद थे।

घुमन्तू-अर्धघुमन्तु परिवारों ... मंशा अनुरूप नहीं दिए प...

वल्लभनगर। सरकार की मंशा अनुरूप घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू परिवारों को पट्टे नहीं दिए जाने के विरोध में राजस्थान गाड़िया लोहार युवा विकास संस्थान के उदयपुर जिला अध्यक्ष लाला गाड़ोलिया लोहार के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान सरकार ने घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू परिवारों को बसाने की जन कल्याणकारी योजना के तहत 2 अक्टूबर को जिले में सर्वे कराकर पट्टे दिए जाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन तीन चौथाई परिवारों को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया, जबकि वे पात्र हैं। अपात्र करने के पिछे जो कारण दर्शाएं गए हैं, वो उचित एवं न्याय संगत नहीं हैं। अधिकारियों ने सरकारी आदेश का गलत विवेचन कर कई पात्र लोगों को वंचित कर दिया है। घुमन्त परिवारों के लिए

आबा... दिए ज... जान... ऐसे... की... इस... का... की... ना... स... प्र...

विस्फोटक फैंक युवती को जलाने के अभियुक्त को उम्रकैद

उदयपुर। अजा/अजजा अनिप्र अदालत की पीठासीन अधिकारी ज्योति के सोनी ने घर पर सो रही युवती को जान से मारने की मंशा से विस्फोटक फैंककर उसे जलाने के मामले के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

प्रकरण के अनुसार सोखवड़ा फला नया गांव निवासी सोनिया ने कोटड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी कि सात अक्टूबर को वह गरबा खेलकर अपने घर आई और खाट पर सो रही थी कि अचानक तेज धमाका होने से लहूलुहान हो गई। आरोपी सतीश पुत्र मणाँ निवासी नयावास ने उस पर विस्फोटक फैंका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक बंशीलाल गवारिया 9 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त सतीश को विभिन्न आजीवन कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ...

सराड़ा। चावंड मे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करते एवं मंच

नवज्योति/सराड़ा। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी और उदयपुर सांसद डॉ.मन्नालाल रावत नें मंगलवार को चावंड में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सरकारी दवाई की दुकान का उद्घाटन किया। उद्घाटन में सन्त सानिध्य हितेस्वरानंद सरस्वती (कटावला मठ) का रहा। जनजाति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प गरीब तबके लोगो को सहज सुलभ अवसर प्रदान करना है। इस मौके पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति प्रेमप्रकाश मंडोत, प्रबंध निदेशक एवं उप रजिस्ट्रार उदयपुर हरीश सवाशिया, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया सलूंबर मदनलाल, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सलूंबर डॉ. जेपी बुनकर, सयुक्त नर्सेज संघठन सलूंबर जिलाध्यक्ष कुलदीप मोड़, भाजपा पूर्व जिला मंत्री नरेंद्र मीणा, समाज सेवी अविनाश मीणा,

भा... चो... सि... पटे... उप... मीण... मीण... मीण... मदन... सेवा... में हु...

बाबा महाकाल मंदिर कारछा में हवन

नवज्योति/खेरवाड़ा। बाबा महाकाल धाम कारछा कला पर नवरात्रि के तहत हवन किया गया। हवन पूजन समारोह आचार्य हितेश जोशी और अजय भट्ट के सानिध्य में किया गया, जिसमें भक्तों ने बाबा का आशीर्वाद लिया। मुख्य यजमान गोविंद सिंह भीमपुर, मोहन औदिचय, मयूर पटेल रहे।

सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रशिक्षण

नवज्योति/खेरवाड़ा। पीईईओ लराठी में किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

उद्घाटन उप प्रधानाचार्य बाबूलाल परमार ने किया। बताया कि बदलते परिवेश में बालकों में जीवन कौशल, आत्मविश्वास में दृढ़ता व भयग्रस्त वातावरण उन्हें अवसाद की ओर ले जा रहा है। दक्ष प्रशिक्षक लक्ष्मीनारायण मेघवाल नें बताया कि वर्तमान में अभिभावक की बच्चों के प्रति अत्यधिक अपेक्षाएं व वर्तमान की दिखावटी काल्पनिक दुनिया से बाहर लाकर स्वाभाविक जीवन जीने के कौशलों को विकसित करना बेहद जरूरी है।

इस प्रशिक्षण मे स्थानीय पीईईओ के कक्षा 6 से 8 में अध्ययन कराने वाले शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आनलाइन मॉड्युल पर स्थित कॉन्सैप्ट पर चर्चा करते हुए बालकों के सर्वांगीण विकास पर शिक्षकों के दायित्वों पर मंथन किया।

स्... गुड़ली के सीए... खुर्द पं... ढाणी... का मं... अवस... चीता, ... चेतन जगदी... ने ग्राम... किया... सीएस... सहित...

को...

नवा... कार्यक्र... के त... दिवस... कीक... पंचाय... शिक्षा... की ग... फील्ड... लाल...

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ 470 यूसीसीआई भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स जी.एल. मिनरल्स, एम.एल.न. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फेल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जी.एल. मिनरल्स., एम.एल.न. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डस्पार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 50 / 2023, क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 253562 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए- 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लाखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर ।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर । 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम - शिशवी तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है ।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ 470 यूसीसीआई भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स महादेव माईनिंग एन्टरप्राइजेज, एम.एल.न. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाइ, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स महादेव माईनिंग एन्टरप्राइजेज, एम. एल. न. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 52 / 2023, क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 375397 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर ।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर । 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 01:00 बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम- शिशवी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है ।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षेत्रीय अधिकारी

बच्चों ने जाना ईटीएफ एवं टैपिंग तकनीक

उदयपुर, (निसं)। टैरो कार्ड रीडर डॉ. अदिति राठौड़ ने आज ऐश्वर्या कॉलेज में आज बच्चों के लिये ईटीएफ एवं टैपिंग तकनीक पर कार्यशाला का आयोजन किया। श्रीमंती अदिति राठौड़ ने बच्चों को टैपिंग तकनीक के तहत विभिन्न टैपिंग पॉइंट्स की जानकारी दी और टैपिंग करवाई। ईटीएफ और टैपिंग तकनीक के माध्यम से हमारी आंतरिक ऊर्जा जाग्रत होती है तथा विभिन्न मानसिक एवं शारीरिक बीमारियों का इलाज संभव है। इस तकनीक का अविष्कार गैरी क्रेग ने 1991 में किया था। यह तकनीक पारम्परिक एक्यूप्रेशर तकनीक पर आधारित है। कार्यक्रम का संचालन एमबीए की छात्रा इनसिया अब्बास ने किया। प्राचार्य डॉ ऋतु पालीवाल ने कार्यशाला को सभी के लिए अत्यंत प्रभावशाली होना बताया।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ 470 यूसीसीआई भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स मारूति माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल.न. 11 / 2023 (क्षेत्रफल 1.5099 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मारूति माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल.न. 11/2023 (क्षेत्रफल 1.5099 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला-उदयपुर जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 11 / 2023, क्षेत्रफल 1.5099 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 224046 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर ।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 07.11.2024 (गुरूवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द, ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड- 19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है । साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षेत्रीय अधिकारी

स्वाईन से बचाव एवं उपचार के लिए तुरन्त असरकारक

जागृति फिवरिन काढा

स्वाईनफ्लु, डेंगू एवं चिकनगुनिया और उससे उत्पन्न सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द इत्यादी में लाभप्रद, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

JAGRITI FEVRIN KADA

Jyoti Stores

(A Leading Merchant in Ayarvedic medicines)

ज्योति स्टोर्स

Out side Delhi Gate UDAIPUR-313001 (Raj)

अनुभवी चिकित्सा परामर्श भी उपलब्ध, फोन नं. : 2420016 (S)

Email : jagritiherbs@yahoo.co.in. Website : www. jagritiayurved.com

के पीछे, उदयपुर 313002 से प्रकाशित नोवा प्रिंटर्स, 5 बागर गली, हाथीपोल से मुद्रित, आरएनआई नम्बर : 23554/72, डाक पंजीयन : RJ/UD/29-
n@hotmail.com, jai.rajasthan72gmail.com